



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 23 फरवरी, 2026

फाल्गुन 4, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 4/2026/246/94-2-2026-UO-49/94-2-2025

लखनऊ, 23 फरवरी, 2026

अधिसूचना

आदेश

प०आ०-34

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, 'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024' के प्रस्तर-4.3.1 के खण्ड-क, ख एवं ग, प्रस्तर-4.3.1 के खण्ड-ड, प्रस्तर-4.3.3 के खण्ड-क तथा प्रस्तर-4.3.4 के खण्ड-क के उपबंधों के अनुसार नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में वर्णित प्रयोजनों हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, उसके स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

स्टाम्प शुल्क छूट से सम्बंधित उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024 के प्रस्तर	विवरण/प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
प्रस्तर-4.3.1 खण्ड-क, ख एवं ग	ऐसे जिले में स्थापित होने वाले प्रथम एम0ई0आर0यू0 अर्थात् बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन0ई0पी0-2020 में यथा परिभाषित), को स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी जो अब तक किसी से आच्छादित नहीं है।	1-50 करोड़ भूमि की लागत तक-50% 2-50 करोड़ से 150 करोड़ भूमि की लागत तक-30% 3-150 करोड़ से अधिक भूमि की लागत तक-20% ऊपर उल्लिखित विनिधान ब्रैकेट के अनुसार विनिधानित	उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

1	2	3	4
	स्टाम्प शुल्क की छूट के लिये, भूमि के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के अनुसार वास्तविक क्रय कीमत को परियोजना के लिये भूमि की लागत माना जायेगा। भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीसीडा) या किसी अन्य राज्य सरकार अभिकरण द्वारा आवंटित किये जाने की दशा में, संदाय की गयी वास्तविक आवंटन कीमत को भूमि की लागत माना जायेगा। स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रकरण प्रभार्य को भूमि की लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।	कोई भी धनराशि स्टाम्प शुल्क में प्रगतिशील छूट के अधधीन होगी।	(अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा।
प्रस्तर-4.3.1 खण्ड-ड	यदि प्रथम एम0ई0आर0यू0 अर्थात् बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन0ई0पी0-2020 में यथा परिभाषित) राज्य के किसी ऐसे आकांक्षी जिले में स्थापित किया जाता है जो अब तक आच्छादित नहीं है।	100% भूमि में विनिधान की श्रेणी व सीमा का विचार किये बिना।	उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा।
प्रस्तर-4.3.3 खण्ड-क	राज्य के किसी भी जिले में स्थापित प्रथम पांच एम0ई0आर0यू0 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान (एफ0एच0ई0आई0) अर्थात् बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन0ई0पी0-2020 में यथापरिभाषित) परन्तु वे अधिसूचना एफ0 संख्या-1.1/2023 के माध्यम से यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों जिनमें निम्न मानदण्ड भी सम्मिलित है, को पूरा करते हों— (एक) आवेदन के समय, यू0जी0सी0 द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित वैश्विक रैंकिंग की समग्र श्रेणी में शीर्ष पांच सौ के भीतर स्थान प्राप्त किया गया हो अथवा (दो) आवेदन के समय, वैश्विक रैंकिंग की विषयवार श्रेणी में शीर्ष पांच सौ के भीतर स्थान प्राप्त किया हो,	100% भूमि में विनिधान की श्रेणी व सीमा का विचार किये बिना।	उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा।

1	2	3	4
	अथवा यू0जी0सी0 द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्राप्त की हो।		
प्रस्तर-4-3.4 खण्ड-क	नवीनतम रैंकिंग सूची में शीर्ष 50 में एन0आई0आर0एफ0 रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय और राज्य के किसी भी जिले में स्थापित एम0ई0आर0यू0 संस्थान अर्थात् बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन0ई0पी0-2020 में यथापरिभाषित) की स्थापना के लिये।	100% भूमि में विनिधान की श्रेणी व सीमा का विचार किये बिना।	उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन होगी:-

1-सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्रख्यापक विभाग अर्थात् उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी (जिला स्तर से अनिम्न पदनाम) लिखत पर यह पुष्टि करेंगे कि विलेख 'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024' के अधीन निष्पादित किया जा रहा है तथा इस प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी करेंगे।

2-स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि, सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में, अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की विधिमान्यता 05 वर्ष होगी। परियोजना के लिये अनुज्ञा-पत्र (एल0ओ0पी0) दिये जाने के पश्चात् इसे वापस कर दिया जायेगा। भूमि के रजिस्ट्रीकरण दिनांक से 05 वर्ष के भीतर एम0ई0आर0यू0 विश्वविद्यालय को एल0ओ0पी0 (अनुज्ञा-पत्र) प्राप्त करना होगा। अन्यथा बैंक प्रत्याभूति को भुनाकर धनराशि को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा उपयुक्त लेखाशीर्षक में जमा कर दिया जायेगा।

3-इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024 की प्रभावी अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि किन्हीं कारणों से उक्त नीति सामप्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त छूट उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहत समझी जायेगी।

4-लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के मुख्य परिसर पर ही लागू होंगे, न कि बाह्य परिसर केन्द्रों पर।

आज्ञा से,
अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.4/2026/246/94-2-2026-UO-49/94-2-2025 dated February 23, 2026 :

No. 4/2026/246/94-2-2026-UO-49/94-2-2025

Dated Lucknow, February 23, 2026

IN exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the stamp duty, chargeable in relation to the instruments shown in Column-4 of the Schedule below, in accordance with the provisions of clauses-a, b and c of paragraph 4.3.1, clause-e of paragraph-4.3.1, clause-a of paragraph-4.3.3 and clause-a of paragraph-4.3.4 of the Uttar Pradesh Higher Education Incentive Policy, 2024, for the purposes described in Column-2 of the said Schedule, to the extent mentioned in Column-3 thereof.

SCHEDULE

Paragraphs of the Uttar Pradesh Higher Education Incentive Policy, 2024 relating to stamp duty exemption	Descriptions/Purpose	Extent of Remission	Nature of Instruments
1	2	3	4
Paragraph 4.3.1 clauses-a, b and c	Stamp duty exemption to be provided to first MERU, <i>i.e.</i> , Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020), established in a district hitherto not covered by one. For stamp duty exemption, the actual purchase price as per the registered document of the land shall be considered as the cost of land for the project. In case the land is allotted by the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation (UPSIDA) or any other State Government Agency, the actual allotment price paid shall be considered as the cost of land. Stamp duty and registration charges shall not be included in the cost of the land.	1.Up to 50 crores of the cost of land-50% 2. 50 crores to 150 crores of the cost of land-30% 3.More than 150 crores of the cost of land-20% Any amount invested as per the investment brackets mentioned above shall be subjected to progressive exemption in stamp duty.	Conveyance under clause-(a) of Article-23 and lease under Article 35 of the Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended in its application to the state of Uttar Pradesh.
Paragraph 4.3.1 clause-e	If the first MERU, <i>i.e.</i> , Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020) is established in an Aspirational district of the State hitherto not covered by one.	100% Irrespective of the category and range of investment in land.	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh.

1	2	3	4
Paragraph 4.3.3 clause-a	To first 5 MERU Foreign Higher Education Institutes (FHEI), <i>i.e.</i> , Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020) established in any district of the State, provided they meet guidelines laid out by UGC through notification F. no. 1-1/2023(IC-FHEI) including the criteria of:- (i) it should have secured a position within the top five hundred in the overall category of global rankings at the time of application, as decided by the UGC from time to time; or (ii) it should have secured a position within the top five hundred in the subject-wise category of global rankings at the time of application or should possess outstanding expertise in a particular area, as decided by the UGC from time to time.	100% Irrespective of the category and range of investment in land.	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh.
Paragraph-4.3.4 clause-a	For Universities having NIRF ranking within top 50 of the most recent ranking list and setting up a MERU Institute, <i>i.e.</i> , Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020) established in any district of the State.	100% Irrespective of the category and range of investment in land.	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh.

The aforesaid remission under this notification shall be subject to the following terms and conditions:-

1. The District Magistrate of the concerned district or the officer of promulgation department *i.e.* Higher Education Department (not below the district level designation) shall confirm in the instrument that the deed is being executed under the Uttar Pradesh Higher Education Incentive Policy, 2024 and also sign as a witness for the said purpose.

2. Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty, in favour of the District Magistrate of the concerned district, shall be presented before the registration officer at the time of the registration of such deed. The Bank Guarantee shall be valid for 5 years. It shall be returned after Letter Of Permission (LOP) is granted for the project. MERU University will have to obtain the LOP within 5 years from the date of registration of the land. Otherwise, the amount will be encashed by the bank guarantee and deposited in the appropriate head by the Stamp and Registration Department.

3. The provisions mentioned in this notification shall remain in force from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* till the effective period of the Uttar Pradesh Higher Education Incentive Policy, 2024. In case, the said policy comes to end, by any means, the remission granted under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.

4. Benefits are only applicable to main campus of Universities in the State of Uttar Pradesh and not off-campus centers.

By order,
AMIT GUPTA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 386 राजपत्र-2026-(1199)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 सा० स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन-2026-(1280)-150 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।